

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8051

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2017/आश्विन 5, 1939

No. 805]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASVINA 5, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1206(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियाँ, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

- 2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।
- 3. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 या ई—मेलः js-tpt@nic.in को भेजे जा सकेंगें।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।
- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 2 के उप—नियम (ख) में, शब्दों ''कृषि ट्रैक्टर एक परिवहनेत्तर वाहन है'' को लोपित किया जाएगा ।

[फा. सं. आर.टी.11028 / 12 / 2017—एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

5911 GI/2017 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2017

- **G.S.R.** 1206(E).—The following draft of certain rules, further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India are made available to the public;
- 2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;
- 3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary to the Government of India (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110001 or at e-mail: js-tpt@nic.in, within the above specified period;

Draft Rules

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (b) of rule 2, the words "Agricultural tractor is a non-transport vehicle" shall be omitted.

[F. No. RT-11028/12/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. (E) dated